नि/निग0/रीवा/2018/0123

35

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा ﴾म0 प्र0﴿

अधि० श्री अनिल तिवारी,
द्वारा पेश/ 27.12.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

लक्ष्मीकांत द्विवेदी तनय स्व. रामपाल ब्रा. नि. ग्राम गेरूआर तह. गुढ

जिला रीवा ﴾म0 प्र0﴿ ---------- आवेदक

बनाम

1:- मिथिला प्रसाद तनय रामसुन्दर

2:- अशोक कुमार तनय इन्द्रपाल दोनों नि. ग्रा. बंजारी तहसील गुढ

जिला रीवा म. प्र. ---- अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह0 गुढ, जिला रीवा ﴾म0 प्र0﴿ रा. प्र. क्र. 31/अ-70/15-15 मे पारित आदेश दिनांक 14-11-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :-

संक्षिप्त तथ्य -

﴾1﴿ यह कि आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध धारा 250 /32 म0 प्र0 भू0 रा0 सं01959 ई. के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह प्रार्थना कि थी कि मौजा बंजारी की आराजी न. 293 रकवा ●.129 है0 का आवेदक

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/123

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	यह निगरानी तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 31 अ 70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14–11–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार गुढ के अंतरिम आदेश दिनांक 13–10–17 एंव आदेश दिनांक 14–11–17 के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 31 अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 27–9–17 के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर तहसीलदार ने सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना आर्डरशीट दिनांक 13–10–17 से प्रकरण सुनवाई में लिया है तथा उसके आगे तिथि 24–11–17 सुनवाई हेतु नियत कर प्रकरण दिनांक 14–11–17 को लेकर पुनरावलोकन आवेदन निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु राजस्व अधिकारियों के लिये निम्नानुसार प्रकिया पूर्ण करना निर्धारित है :– " कलेक्टर अथवा बंदोवस्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी को, प्रत्येक दशा में , पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है, भले ही वह आदेश उसने स्वयं पारित किया हो। " स्पष्ट है कि तहसीलदार गुढ़ ने आवेदक के पुनरावलोकन आवेदन को सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना सुनवाई में लेते हुये प्रकरण दिनांक 14–11–17 को	

लेकर पुनरावलोकन आवेदन निरस्त करने में भूल की गई है जिसके कारण तहसीलदार गुढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 31 अ 70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14–11–17 विधि–सम्मत आदेश की श्रेणी में नही है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 31 अ 70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14–11–17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार गुढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वह संहिता की धारा 51 में दिये गये प्रावधानों का पालन करते हुये उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य